संख्या- 22/2016/835/38-4-16-05(बजट)/2012

प्रेषक,

वी० हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र० लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 20 जुलाई,2016

विषय:- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में पत्र संख्या- 776/वि०का०/लो०ग्रा०आ०यो०/2016 दिनांक 08-07-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20 फरवरी, 2013 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देशिका के क्रम में शासनादेश संख्या-30/2015/1138/38-4-14-05(बजट)/2015, दिनांक-14 सितम्बर, 2015 द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों के संदर्भ में उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा 01-04-2016 से लागू की गयी "प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)" में लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं ज़ातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के आधार पर किये जाने के प्राविधान के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु मार्ग-निर्देशिका दिनांक 20 फरवरी, 2013 तथा 14 सितम्बर,2015 के क्रम में निम्नानुसार संशोधित दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाते है:-

3- (1) <u>अनिवार्य रूप से लोहिया समग्र ग्रामों में आवंटित किये जाने वाले लोहिया आवास</u>

(क)- सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण के आधार पर जो परिवार आवासहीन, झोपड़ी में रहने वाले, एक कमरा कच्चा अथवा 2 कच्चे कमरा वाले पाये गये, उनकी वंचितता (deprivation) के आधार पर प्रदान किये गये अंकों, जो सबसे ऊपर हों उन्हें आवासों का आवंटन किया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लाभार्थियों की वंचितता (deprivation) के आधार निम्नवत् है:-

1- Motorised two/three/four wheeler / fishing boat
2- Mechanised three/ four wheeler agricultural equipment
3- Kisan Credit Card with credit limit of Rs.50,000 or above
4- Household with any member as a Government employee
5- Households with non-agricultural enterprises registered with the Government
6- Any member of the family earning more than Rs.10,000 permonth
7- Paying income tax
8- Paying professional tax
9- Own a refrigerator
10- Own landline phone
11- Own 2.5 acres or more of irrigated land with at least one irrigation equipment
12- 5 acres or more of irrigated land for two or more crop seasons
13- Owning at least 7.5 acres of land or more with at least one irrigation equipment

यदि कोई परिवार आवास हेतु पात्र है परन्तु सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण के आधार पर लाभार्थी प्राथमिकता सूची में छूट गया हो तो पृथक से सूची तैयार की जायेगी, जिस पर आगामी वर्ष में विचार किया जायेगा।

(ख)- प्रत्येक लोहिया ग्राम में इस अनिवार्य कोटे से अधिकतम 25 लोहिया ग्रामीण आवासों का आवंटन किया जायेगा।

(ग) लोहिया समग्र ग्राम जिस ग्राम पंचायत में आच्छादित हो उस ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आवासों का आवंटन तभी किया जायेगा जब लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवासों का आवंटन कर लिया जाये।

3- जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने वाले लोहिया आवासों एवं मा0 विधान मण्डल के सदस्यगणों की संस्तुति पर 10 लोहिया आवासों को दिये जाने के सम्बन्ध में पृथक से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

4- प्रत्येक जिले में सामान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक परिवारों हेतु लोहिया ग्रामीण आवासों के लक्ष्य का निर्धारण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा किया जायेगा।

5- कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या- 22/2016/835/38-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यूपी नेडा), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
8- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
11- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
15- नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर, उ0 प्र0 राज्य शाखा योजना भवन, लखनऊ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।